न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 67/2022

जीसीएमएस नम्बर :: 2022/271

प्रार्थीगण :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1. मदनलाल 2. डुगाराम 3. प्रकाशचन्द्र 4. जगदीश पुत्रगण फौजूशंकर, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण दुजाणा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत दुजाणा जरिये सरपंच 2. कान्ता पत्नी शांतिलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी दुजाणा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 10.02.2023

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत दुजाणा द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 की पालना में अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4767 दिनांक 27.06.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी आदेश पारित करने में न तो मिसल कायम की गई, न प्रस्ताव पारित किया गया और न ही नियमों का अवलोकन किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत ने जो भूमि विक्रय अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में की है, उस भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण के पिता फौजूशंकर जी के पक्ष में पट्टा संख्या 57 दिनांक 30.07.1966 को जारी किया। ऐसी सूरत में पट्टे के ऊपर पट्टा ग्राम पंचायत नहीं दे सकती क्योंकि उक्त भूमि पंचायत की नहीं होकर निजी व्यक्ति की भूमि थी। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा नियम 150 व नियम 152 के तहत देना जाहिर किया है जबकि जैर निगरानी पट्टा जारी करते वक्त उक्त नियमों में आने वाली किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। नीलामी में भी वो राशि आनी चाहिये जो बाजार दर उप पंजीयन अधिकारी के यहां प्रचलित दर क्या रही है, उससे कम अगर बोली आती है तो वापस नीलामी की कार्यवाही ग्राम पंचायत को करनी थी, लेकिन यहां तो किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी नहीं किया है। फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण के पिता के पट्टे की भूमि अवैध निर्माण शुरू किया, तब प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत में आवेदन किया तो पंचायत ने यह जाहिर किया कि इस तरह का पट्टा ग्राम पंचायत दुजाणा ने जारी नहीं किया है, फिर भी पट्टे का सहारा लेकर अप्रार्थी संख्या 02 के पति शांतिलाल जो प्रार्थीगण का सगा भाई है। अप्रार्थी संख्या 02 ने निर्माण कार्य की नियत से नींव खुदाई शुरू किया जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐतराज किया तो शान्तिलाल थाने में इस तरह के पट्टे की फॉटोप्रति पेश की जबकि पंचायत में ऐसा कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 02 के पति शान्तिलाल आपस में सगे भाई है और इसने पिता के पट्टे की भूमि पर अपनी पत्नी के नाम का पट्टा बताकर जमीन हड़पना चाहता है। अतः जैर निगरानी पट्टा फर्जी व कूटरचित होने से काबिले खारिज है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना बता रहे है परन्तु दोनों पट्टों की दिशाओं का अवलोकन फरमावे जो मिलान नहीं हो रही है। जैर निगरानी भूखण्ड मैंने नीलामी में खरीदा है। इस सन्दर्भ में वकील अप्रार्थी द्वारा DNJ 2015 (4) Page No. 1853, RLW (RJ) 2002(0) Page No. 199 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत

जिला कलेक्टर, पाली

किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा पट्टा जारी होने के लगभग 17 वर्ष बाद निरस्त कराने हेतु न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। जिसमें जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में निम्न बिन्दु उठाये गये :–

1. प्रार्थीगण के पिता के नाम पर जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 30.07.1966 को हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा पु नः अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा नीलामी से दिया जाना बताया गया है परन्तु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नीलामी संबंधी नियमों की पालना नहीं की गई है जो कि विधि अनुरूप नहीं है।

बिन्दु संख्या 01 के संबंध में न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के पिता आपस में सगे भाई है और निकट पारिवारिक संबंध है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिस से यह स्पष्ट होता हो कि एक ही भू–खण्ड पर ये दोनों पट्टे जारी किये गये है परन्तु दोनों पट्टों की दिशाएं देखने पर दिशाओं में समानता जरूर प्रतीत होती है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के हक में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

बिन्दु संख्या 02 के संबंध में न्यायालय यह पाता है कि ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 10.06.2021 द्वारा प्रार्थी संख्या 04 को यह अवगत करवाया कि उक्त सूचना ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है एवं ग्राम पंचायत की ओर से अन्य कोई पक्ष इस संबंध में नहीं रखा गया है तथा जैर निगरानी पट्टे से संबंधित सत्यप्रतियों से उक्त पट्टा पंजीकृत होना भी नहीं पाया जाता है जो कि उक्त जैर निगरानी पट्टे के नियम विरूद्ध जारी होने का संशय उत्पन्न करती है। अतः उक्त बिन्दु भी प्राथी के हक में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं को प्रार्थी के हक में आंशिक स्वीकार किये जाते है परन्तु जैर निगरानी पट्टा जारी होने के 17 वर्ष के बाद इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः बिना विस्तृत जाँच के एवं बिना ठोस साक्ष्य के इतना पुराना पट्टा खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विकास अधिकारी सुमेरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उठाये गये उपरोक्त दोनों बिन्दुओं की पूर्ण जाँच करे एवं यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित(Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पट्टा निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। न्यायायल के समक्ष यह तथ्य भी लाये गये है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को शांति कायम रखने हेतु पुलिस द्वारा उपखण्ड कार्यालय में इस्तगासे भी भेजे गये है अतः यह निर्देश भी दिए जाते है कि उक्त जाँच होने तक जैर आराजी पर दोनों पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जायेगी एवं कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली